सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 374/17 **निर्णय दिनांकः 08–08–2019**

1. अल्लाबसक पुत्र इमामबकस जाति मुसलमान निवासी आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. आशा खातून पत्नि अल्लाबसक जाति मुसलमान निवासी आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 14–06–2006
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. सुश्री रोशनआरा , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 14–06–2006 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर मोहरबन्द उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 2 आरएसएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 17/7 में 25 बीधा अनकमाण्ड भूमि इ का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित होने तथा उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज़ में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–06–2006 के विरूद्व अपील दिनांक 20–11–2017 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को दिनांक 14–06–2006 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–06–2006 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 20–11–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में अपीलांट ग्रामीण पृष्ठ भूमि का निवासी होने के कारण आवंटन अधिकारी स्तर से की गई दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–06–2006 को अपीलांट को चक 2 आरएसएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 17/7 में 25 बीघा अनकमाण्ड आवंटन का पात्र धोषित किया गया था। तत्पश्चात् अपीलांट को आराजी जैर भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया, परन्तु उक्त आदेश के पश्चात् किश्तो का शड्यूल जारी करना, कब्जा देने, आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल करना आदि आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान जमाबन्दी में आवेदक को आवंटित चक 2 आरएसएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 17/7 की भूमि शान्ति पत्नी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रामरख जाति जाट साबिन नौरंगदेसर को आवंटित होकर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

आवंटन का रिकार्ड अपडेट रखने का दायित्व उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों का है, परन्तु विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता का नतीजा आवंटी भुगत रहे है। अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपीलांट/आवंटी को कोई लाभ नहीं मिला है तो ऐसे आवंटन आदेश का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर अपने आवंटन को बहाल करने व अन्यथा अन्य भूमि आवंटन करने की प्रार्थना की जाती रही है परन्तु सक्षम अधिकारी ने न तो उक्त आदेश को निरस्त किया, न पात्रता के आधार पर आवेदक को अन्यत्र भूमि आवंटित की। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अनिश्चित अवधि तक प्रभावी रखने का औचित्य नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—06—2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए समान श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

रामनिवास जाट
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर